भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1820
जिसका उत्तर शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

अभिरक्षाधीन जांच के लिए गिरफ्तारी से छूट

1820. डॉ. थोल तिरुमावलवन :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय की इस टिप्पणी को नोट किया है कि अभिरक्षा में जांच अथवा जघन्य अपराध या गवाह को प्रभावित करने से रोकने अथवा अभियुक्त को फरार होने से रोकने जैसे आवश्यक मामलों को छोड़कर, कानून में प्रावधान के अनुसार व्यक्तियों को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त टिप्पणी को कानूनी रूप से प्रवर्तनीय बनाने के लिए संबंधित कानून में संशोधन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : गृह मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि गृह कार्य संबंधी विभाग संबद्ध संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 111वीं, 128वीं और 146वीं रिपोर्टों में देश की आपराधिक न्यायिक प्रणाली की व्यापक समीक्षा के लिए और संबंधित अधिनियमों में खंडश: संशोधन करने की बजाए संसद् में एक व्यापक विधान पुर:स्थापित करने के लिए सिफारिश की है । सरकार, दंड विधियों अर्थात् भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यापक समीक्षा के लिए गृह कार्य संबंधी विभाग संबद्ध संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश से सहमत है ।

****